

प्रेशक,

श्री तरेन्द्र मिश्र
विशेष तहसिल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

तहसिल,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र,
प्रौढ विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकनीक : दिनांक 31 अगस्त, 1999

विषय:-होली चारुण्ड स्कूल, ग्राम भरतपुर, तहसील विनातपुर, जमद रामपुर को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

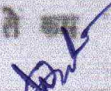
प्रतिपद,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बहने का निदेश हुआ है कि होली चारुण्ड स्कूल ग्राम भरतपुर तहसील विनातपुर जमद रामपुर को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1.11 विद्यालय की पंजीकृत सीताइली का तम्ब-तम्ब पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.21 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.31 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग-जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तयामित विद्यालय में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.41 तहसील द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्रस्तावित शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कोसिल फार दि इन्डियन स्कूल तटीफिस्ट इन्फोर्मेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिभाषकों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 1.51 तहसील शैक्षिक एवं विज्ञानात्मक कार्यकारियों को राजकीय तहसिलता प्राप्त शिक्षा तहसीलों के कार्यकारियों को अनुमन्त्रित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

--2/-


PRINCIPAL
HOLY CHILD SCHOOL
Bharatpur, P.O. Kaushalganj
Bilaspur (Rampur)


MANAGER
HOLY CHILD SCHOOL
Bharatpur, P.O.-Kaushalganj,
Teh.-Bilaspur, Distt.-Rampur (UP)

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातवीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तम-तम पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/योजनाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को नियमानुसार देय वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जायेगा ।

121 प्रवेश शुल्क २०-2000/- चार्ज नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुर्क या शिथिलता घटती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

तारिन्द मिश्र।

विशेष तय्यि ।

संख्या-3863111/15-7-99 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर ।
- 4- निरीक्षक ऑफ भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रधानक, डोली वाक्कंड स्कूल, ग्राम-भरतपुर, तल्लीन, जिला-रामपुर, पोस्ट झाडागंज, जिला रामपुर ।

आज्ञा है,

तारिन्द मिश्र।

विशेष तय्यि ।

PRINCIPAL
HOLY CHILD SCHOOL
Bharatpur, P.O. Kaushalganj
Bilaspur (Rampur)

MANAGER
HOLY CHILD SCHOOL
Bharatpur, P.O.-Kaushalganj,
Teh.-Bilaspur, Distt.-Rampur (UP)